ब न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बरही, हजारीबाग

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या 10/20–21

आरती देवी –बनाम–राज्य

तारिख	–:आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर:–	अभियुक्ति
	आवेदिका आरती देवी पति बिरेन्द्र महतो साकिन मासीपीढ़ी, पो0 बरवां, थाना बरकट्ठा जिला हजारीबाग ने आवेदन समर्पित किया है कि मौजा–बरवा, थाना–बरकट्ठा, थाना नं0–101, जिला– हजारीबाग के अन्तर्गत खाता नं0 60, प्लॉट सं0 8006, रकबा 1.07 ए0 मधे $0.5\frac{3}{4}$ ए0 भूमि बिक्रेता श्री दुलारचन्द महतो से क्रय की गयी है, प्रश्नगत भूमि की दाखिल खारिज हेतु आवेदिका द्वारा अंचल अधिकारी, बरकट्ठा में ऑनलाईन आवेदन समर्पित किया गया था जिसके आलोक में दाखिल खारिज वाद सं0 850R27/2017-18 द्वारा अंचल अधिकारी, बरकट्ठा ने दाखिल खारिज को अस्वीकृत कर दिया। आवेदिका द्वारा दाखिल खारिज को स्वीकृत करने का अनुरोध किया है। आवेदिका के आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बरकट्ठा से जांच प्रतिवेदन की माँग की गयी एवं पक्षकार को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। अंचल, बरकट्ठा से प्राप्त अस्वीकृति की सूचना में राजस्व कर्मचारी का मंतव्य आवेदित भूमि में विवाद है, न्यायालय में मामला चल रहा है। अंचल निरीक्षक का मंतव्य बिक्रेता का जमाबंदी में प्लॉट दर्ज नहीं है, प्लॉट दर्ज होने के बाद दाखिल खारिज की जा सकती है। अंचल अधिकारी का अस्वीकृति का कारण राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन के आलोक में तकनिकी कारणों से दाखिल खारिज अस्वीकृत किया जाता है। इस कार्यालय के पत्रांक 177, दिनांक 28.10.2020, पत्रांक 211 दिनांक 26.11.2020 पुनः पत्रांक 228, दिनांक 14.12.2020 एवं पत्रांक 194, दिनांक 08.04.2021 द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित जांच प्रतिवेदन की मांग अंचल अधिकारी बरकट्ठा से की गयी थी। लेकिन अंचल अधिकारी, बरकट्ठा के द्वारा जांच प्रतिवेदन अभी तक प्रेषित नहीं किया गया। अतएव अंचल अधिकारी बरकट्ठा द्वारा जांच प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराने के कारण वाद काफी दिनों से लंबित है। आवेदिका द्वारा अपने विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से समर्पित आवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि खाता सं0 60 प्रयाग महतो, नुनू महतो एवं छोटू महतो तीनों के पिता बलदेव महतो का बराबर हिस्सा है। प्रयाग महतो की मृत्यु हो चुकी है। उनके दो पुत्र दुलारचन्द महतो एवं अर्जुन महतो के बीच उनके हिस्से की भूमि बराबर–बराबर है। दुलारचन्द महतो का खाता नं0 60, प्लॉट सं0 8006, रकबा 1.07 ए0 मधे $0.5\frac{3}{4}$ ए0 भूमि पर दखल कब्जा था, जिसकी जमाबंदी पंजी–II के पेज सं0 187 में दर्ज है। इसलिए अंचल अधिकारी, बरकट्ठा द्वारा पारित आदेश दाखिल खारिज नियम के विरुद्ध जबकि प्रश्नगत भूमि पर मेरा दखल कब्जा पक्का	

मकान एवं ईट का घेराबंदी के रूप में है। उक्त मकान में ही मैं रह रही हूँ किसी के द्वारा मेरे दाखिल खारिज आवेदन के विरूद्ध अंचल में कोई आपति आवेदन कभी नहीं दिया गया है। इसलिए प्रार्थना है कि अंचल अधिकारी, बरकट्ठा द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुए मेरे दाखिल खारिज अपील आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाय।

अतएव आवेदिका द्वारा समर्पित आवेदन एवं कागजात के अवलोकन तथा उनके विज्ञ अधिवक्ता को सुनने के पश्चात स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि मौजा–बरवां, थाना–बरकट्ठा, थाना नं0--101, जिला– हजारीबाग के अन्तर्गत खाता नं0 60, प्लॉट सं0 8006, रकबा 1.07 ए0 मधे $0.5\frac{3}{4}$ ए0 भूमि पर आवेदिका का पक्का मकान बना हुआ है तथा चाहरदिवारी भी है। इसलिए आवेदिका के अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाता है तथा अंचल अधिकारी, बरकट्ठा को आदेश दिया जाता हैं कि विक्रेता के जमाबंदी में प्लॉट दर्ज कर आवेदिका आरती देवी पति बिरेन्द्र महतो साकिन मसीपीढी के नाम से प्रश्नगत भूमि की ऑनलाईन जमाबंदी खोलते हुए सरकारी लगान रसीद निर्गत करना सुनिश्चित करें।

लेखापित एवं संशोधित

8/10/21	8/10/21
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता	भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बरही, (हजारीबाग)	बरही, (हजारीबाग)

ज्ञापांक ...300/20... बरही, दिनांक ...8/10.../2021

प्रतिलिपिः– अंचल अधिकारी, बरकट्ठा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित

8/10/21

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बरही, (हजारीबाग)

1/12/2021

Digitally signed by AJAY BHAGAT
Date: 2024.08.28 17:36:05 +05:30
Location: 192.168.1.41